[2019] 7 एस. सी. आर 919

प्रमोद कुमार और ए. एन. आर.

वी.

ज़लक सिंह और हमारा।

(सिविल अपील सं। 2019 का 1055)

10 मई, 2019

[अशोक भूषण और के. एम. जोसेफ, जे. जे.]

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: आदेश II, नियम 2 (1)-पूरे दावे को शामिल करने के लिए सूट अलग-अलग के पिता द्वारा दो अलगाव

पैतृक संपत्ति के क्षेत्र, अलग-अलग तिथियों पर-दो बिक्री विलेखों को अलग करने के लिए अलग-अलग मुकदमे दायर करना-पहला मुकदमा

ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज किया गया दूसरा मुकदमा ट्रायल द्वारा खारिज किया गया न्यायालय के साथ-साथ आदेश II, नियम 2 और रचनात्मक न्यायपालिका के आधार पर अपीलीय न्यायालय-उच्च न्यायालय ने अपील पर आदेश को रद्द करते हुए कहाः आदेश II, नियम 2 (1) में प्रावधान है कि एक वादी को पूरे दावे को शामिल करना है, जिसे वह करने का हकदार है।

कार्रवाई के कारण-हालाँकि, यदि कोई वादी जानबूझकर अपने दावे के किसी भी हिस्से पर मुकदमा करने या छोड़ने से चूक जाता है, तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

इस प्रकार हटाए गए या छोड़े गए उस हिस्से पर मुकदमा करने से-हालाँकि, यदि कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले एक मुकदमे में अलग-अलग राहतों की मांग की जा सकती है, यदि अदालत से अनुमति प्राप्त की जाती है, तो दूसरे मुकदमे के लिए, पहले के मुकदमे में दावा की गई राहत से अलग राहत के लिए प्रार्थना की जा सकती है-आदेश II, नियम 2 में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान नहीं किया जा सकता है। सभी दावे और राहत, जो कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होते हैं,

एक ही मुकदमे में समझा गया-तथ्यों पर, उस समय जब पहला मुकदमा दायर किया गया था, भले ही दूसरा अलगाव हो सकता था

चुनौती दी गई और यह कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न हुआ न कि कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों से, केवल यह तथ्य कि सीमा की एक अलग अवधि प्रदान की गई है, इसके तहत प्रतिबंध के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है। आदेश 2, नियम 2-पहला मुकदमा दायर करने के समय, वादी के हित में दिवंगत पूर्ववर्ती ने एक और बिक्री विलेख भी निष्पादित किया था जो भूमि के शेष हिस्से का गठन करता था।

दोनों लेन-देनों के संबंध में लगभग समान अभिकथन-ऐसी परिस्थितियों में, वादी के लिए यह खुला था कि वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा ब्याज में निष्पादित दूसरी बिक्री के संबंध में राहत मांगे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बिक्री विलेख के संबंध में, आदेश II, नियम 2 के तहत प्रतिबंध लागू होगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया जाता है।

क्रिया का कारण का अर्थ-समझाया गया।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश II, नियम 2 (1) में प्रावधान है कि एक वादी को कार्रवाई के कारण के संबंध में पूरे दावे को शामिल करना है, जो वह करने का हकदार है। हालाँकि, यह उसके लिए दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ने के लिए खुला है। आदेश II, नियम 2 के परिणामों के लिए प्रावधान करता है

दावे के एक हिस्से का त्याग और दावे के एक हिस्से को छोड़ने के परिणाम भी। यह घोषणा करता है कि यदि कोई वादी जानबूझकर अपने दावे के किसी भी हिस्से पर मुकदमा करने या छोड़ने से चूक जाता है, तो उसे उस हिस्से पर मुकदमा करने से रोक दिया जाएगा जिसे इस प्रकार छोड़ दिया गया है या छोड़ दिया गया है। आदेश II, नियम 2 (3), हालांकि, एक ही कारण के संबंध में सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा करने में चूक के प्रभाव से संबंधित है। कार्रवाई। इस तरह की चूक के परिणाम वादी को किसी भी राहत के लिए मुकदमा करने से रोकने के लिए होंगे जिसे इस तरह से छोड़ दिया गया है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब वह न्यायालय की अनुमति प्राप्त करता है। इस प्रकार, दावे के एक हिस्से को शामिल करने या एक हिस्से को छोड़ने की चूक के संबंध में

कार्रवाई के कारण से आने वाले दावे का परिणाम यह है कि वादी को इस तरह छोड़े गए या छोड़े गए दावे के संबंध में बाद में मुकदमा दायर करने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालाँकि, यदि कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले एक मुकदमे में अलग-अलग राहत की मांग की जा सकती है, यदि अदालत से अनुमति प्राप्त की जाती है, तो पहले के मुकदमे में दावा किए गए एक से अलग राहत के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया जा सकता है। तीन अभिव्यक्तियाँ हैं जो क्रम II, नियम 2 में पाई जाती हैं। सबसे पहले, "कार्रवाई का कारण" शब्द का संदर्भ है, दूसरा शब्द "दावा का संकेत है" और अंत में "राहत" का संदर्भ दिया जाता है। [पारस 26,27] [931-एच; 932-ए-बी; 933-सी-डी] 1.2 प्रतिवादियों द्वारा स्थापित बचाव, यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक होगा कि कार्रवाई के कारण का क्या अर्थ है। वादी द्वारा मांगी गई राहत इस बात का निर्धारण नहीं करेगी कि कार्रवाई का कारण क्या है। प्रिवी काउंसिल द्वारा बताए गए कार्रवाई के कारण का अर्थ है वह मीडिया जिसके माध्यम से वादी अदालत को राहत देने के लिए राजी करना चाहता है। इसलिए, इसे तथ्यात्मक और कानूनी आधार या आधार कहा जा सकता है जिसके आधार पर वादी द्वारा अदालत को मामले का फैसला करने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

वी. ज़लक सिंह और हमारा।

आदेश II, नियम 2 के तहत प्रतिबंध को बाहर करने के लिए काम नहीं कर सकता है। आदेश II, नियम 2 में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने वाले सभी दावों और राहतों को एक ही मुकदमे में समझा जाना चाहिए। आदेश II, नियम 2 में विश्राम के सिद्धांत का प्रावधान है। यदि यह आदेश II, नियम 2 का अंतर्निहित उद्देश्य है, तो यह तथ्य कि उस समय जब पहला मुकदमा दायर किया गया था, भले ही दूसरे अलगाव को चुनौती दी जा सकती थी और यह कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न हुआ था, न कि कार्रवाई के दो अलग-अलग कारणों से, केवल यह तथ्य कि सीमा की एक अलग अवधि प्रदान की गई है, खड़ा नहीं हो सकता है। आदेश II, नियम 2 के तहत बार के रास्ते में। [पैरा 35] [937-एफ-एच; 938-ए]

1.4 आदेश VII नियम 1 में वादी में निहित किए जाने वाले विवरणों का प्रावधान है। यह, अन्य बातों के साथ, प्रदान करता है कि तथ्य

कार्रवाई का कारण बनाना और जब यह उत्पन्न हुआ, तो अनुरोध किया जाना चाहिए। जाहिरा तौर पर, उत्तरदाताओं का प्रस्तुत करना सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 109 को ध्यान में रखते हुए है, अनुच्छेद 109 में प्रदान की गई कार्रवाई का कारण विलेख के 11.02.1959 होने की तारीख से शुरू होगा, और इसलिए, इसकी सीमा की अवधि अलग है। यह इंगित करता है कि दूसरे मुकदमे में उठाए गए कार्रवाई का कारण, पहले मुकदमे में कार्रवाई के कारण के समान नहीं है। यह प्रस्तुतिकरण एक गलतफहमी पर आगे बढ़ता है कि कार्रवाई का कारण क्या है। यह तथ्यों का बंडल है, जिसे अगर पार किया जाए, तो साबित किया जाना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया है, इसका अर्थ मीडिया भी समझा जाएगा जिसके माध्यम से

वादी द्वारा न्यायालय के हस्तक्षेप की मांग की जाती है। [पैरा 36]

[938 - बी-डी]

1.5 वादी का मामला ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति पैतृक संपत्ति है। उनके दिवंगत पिता टी को बेकार करने के लिए दिया गया था तरीके और पीने के आदी और अन्यथा। उसे संपत्ति बेचने के लिए दिया गया था। उनके शुभचिंतकों ने हस्तक्षेप किया और विभाजन हुआ। हालांकि, 8,22 एकड़ को विभाजन विलेख से बाहर रखा गया था। उन्होंने बिना किसी कानूनी आवश्यकता के 8.22 एकड़ और [2019] 7 एस. सी. आर. बेचने का फैसला किया।

संयुक्त परिवार को कोई लाभ नहीं। का पहला भाग लेन-देन, जिसमें दो भाग शामिल थे, बिक्री विलेख से संबंधित था और वह पहले मुकदमे का विषय था। उक्त पहला मुकदमा दायर करने के समय, वादी के हित में दिवंगत पूर्ववर्ती ने एक और बिक्री विलेख भी निष्पादित किया था, जिसमें शेष हिस्सा था जिसमें 8.22 एकड़ भूमि शामिल थी। मुकदमों में दोनों लेन-देन के संबंध में लगभग समान कथन थे। पहला मुकदमा 1963 में और दूसरा मुकदमा 1971 में दायर किया गया था। [पैरा 38] [938-ई-जी]

1.6 ऐसी परिस्थितियों में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें वादी को राहत को अलग करने के रूप में शामिल करना चाहिए था

दूसरा बिक्री विलेख भी। यह ऐसा मामला नहीं है जब वादी द्वारा पहला मुकदमा दायर करने के समय दूसरा बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी/वादी के लिए यह खुला था कि वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा ब्याज में निष्पादित दूसरी बिक्री के संबंध में राहत मांगे और वही पक्ष (प्रतिवादी) जो अपीलकर्ता हैं, उनके पक्ष में क्या अधिक महत्वपूर्ण है। उच्च न्यायालय आदेश II, नियम 3 के आधार पर तर्क के लिए आगे बढ़ा है। यह वादी के लिए कार्रवाई के कारणों को जोड़ने के लिए खुला है। [पैरा 39,40] [938-एच; 939-ए-सी] 1.7 कानून किसी वादी को मुकदमे में कार्रवाई के एक या अधिक कारणों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह वादी के लिए खुला है, यदि वह ऐसा चाहता है, हालांकि एक ही मुकदमे में एक ही पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के एक से अधिक कारणों को जोड़ना। हालाँकि, यह सच है कि आदेश II नियम 2 में प्रतिबंध केवल तभी उत्पन्न होगा जब दावा, जिसे हटा दिया गया है या त्याग दिया गया है और राहत जो छोड़ दी गई है और जिसका दावा नहीं किया गया है, कार्रवाई के एक कारण से उत्पन्न होती है। यदि कार्रवाई का एक से अधिक कारण है, तो आदेश II, नियम 2 लागू नहीं होगा। यह भी सच है कि आदेश II, नियम 2 एक तकनीकी नियम को प्रकट करता है क्योंकि इसका प्रभाव न्यायालयों में अपनी शिकायत को उजागर करने वाले वादी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का होता है। लेकिन एक समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान नहीं किया जाएगा। कार्रवाई के उसी कारण पर, वादी ने विचाराधीन बिक्री विलेख के संबंध में मुकदमा करना छोड़ दिया है, आदेश II, नियम 2 के तहत प्रतिबंध लागू होगा। इसे ध्यान में रखते हुए इस पर उच्चारण करना आवश्यक नहीं है

रचनात्मक न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न। इस प्रकार, निर्णय उच्च न्यायालय को अलग कर दिया जाता है। [पैरा 41,42] [939-ई-एच; 940-ए-बी]

कॉफी बोर्ड वी। रमेश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (2014) 6 एससीसी 424: [2014] 7 एससीआर 461; ए. बी. सी. लैमिनार्ट प्रा.

प्रमोद कुमार और ए. एन. आर. वी. ज़लक सिंह और हमारा।

लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. ए. पी. एजेंसियां, सलेम (1989) 2 एस. सी. सी. 163:

[1989] 2 एससीआर 1; अलका गुप्ता बनाम। नरेंद्र कुमार गुप्ता

(2010) 10 एससीसी 141 [2010] 11 एससीआर 756; कन्या राशि

उद्योग (अंग्रेज़ी) (पी) लिमिटेड v. वेंचरटेक सॉल्यूशंस (पी)

लिमिटेड (2013) 1 एससीसी 625: [2012] 7 एस. सी. आर. 933; गुरबक्स

एस. सी. सी. 218; एस. नजीर अहमद बनाम। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (2007) 11 एस. सी. सी. 75 [2007] 1 एस. सी. आर. 843 संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2014] 7 एससीआर 461

पै

रा 8

संदर्भित

[1989] 2 एससीआर 1

पै

रा 8

संदर्भित

[2010] 11 एससीआर 756

पै

रा 10,31

संदर्भित

[2012] 7 एससीआर 933

संदर्भित

पै

रा 22

[1964] एससीआर 831

संदर्भित

पै

रा 31

(2005) 10 एससीसी 218

संदर्भित

पै

रा 33

[2007] 1 एससीआर 843

पै

रा 34

संदर्भित

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 1055

2019 से।

उच्च न्यायालय के 31.08.2012 दिनांकित निर्णय और आदेश से

1995 की दूसरी अपील संख्या 5 में बॉम्बे, नागपुर पीठ, नागपुर में न्यायिक न्यायालय।

निखिल नय्यर, गर्वेश काबरा, वी. आर. मुण्डे, अधिवक्ता। के लिए

अपीलार्थी।

आर. के. बोरकर, शिरीष के. देशपांडे, ईश्वर चावलेवार, मोहित

गौतम, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

के. एम. जोसेफ, जे.

1. विशेष अनुमति द्वारा यह अपील फैसले के खिलाफ निर्देशित है।

और 1995 की दूसरी अपील संख्या 5 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 1 का आदेश। विवादित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षों को दरकिनार कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिवादियों (वादियों) द्वारा दायर मुकदमे को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि मुकदमा [2019] 7 एस. सी. आर. था।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश II नियम 2 द्वारा वर्जित

(इसके बाद सी. पी. सी. ') के रूप में भी संदर्भित किया गया है। उच्च न्यायालय ने गुण-दोष पर निर्णय लेने के लिए मामले को प्रथम अपीलीय न्यायालय को भेज दिया है।

2. एक टीकाराम प्रतिवादी संख्या 4 का पति और प्रतिवादी संख्या 4 का पिता था। 1 3 तक। उनके नाम पर गाँव गोंदिया में खसरा No.189 में 8,22 एकड़ भूमि थी। आई. डी. 1 पर, उन्होंने कुल 8,22 एकड़ में से 3,20 एकड़ जमीन अपीलार्थियों को बेच दी और उसके बाद, आई. डी. 2 पर, उन्होंने 4,82 एकड़ जमीन का शेष हिस्सा, जो कि 8,22 एकड़ में से शेष था, अपीलार्थियों को भी बेच दिया। टीकाराम का निधन 15.07.1959 पर हुआ।

प्रत्यर्थियों ने दिनांकित बिक्री विलेख 21.01.1959 को अलग रखने और अन्य राहतों के लिए एक मुकदमा (1963 का दीवानी मुकदमा संख्या 131 वाला) दायर किया।

मुकदमे में प्रतिवादियों द्वारा लगाया गया आरोप था कि भूमि एक संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति थी और उन्होंने इसे अनैतिक उद्देश्यों के लिए और संयुक्त परिवार के हित के लिए प्रतिकूल तरीके से बेचा था। वह शराब पीने का आदी था और उसे संपत्ति बेचने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 3. 31.01.1969 पर, ट्रायल कोर्ट ने उक्त मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि टीकाराम विभाजन के कारण संपत्ति का मालिक था।

1957 में। इसलिए, उन्हें सूट की जमीन बेचने का अधिकार था। अपीलार्थी प्रामाणिक खरीदार थे।

4. विचारण न्यायालय के आदेश से व्यथित होकर, प्रत्यर्थियों ने एक अपील दायर की (जिसमें सिविल अपील सं. 1969 का 22) 10.02.1971 पर।

5. प्रत्यर्थियों ने फिर से वर्तमान मुकदमा दायर किया (1971 का दीवानी मुकदमा संख्या 34 वाला) जिसमें दिनांकित बिक्री विलेख को चुनौती दी गई और अन्य राहत की मांग की गई। यह वह वाद है जिसे विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय न्यायालय दोनों ने खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने इन मुद्दों का जवाब दिया कि क्या मुकदमा आदेश II नियम 2 के तहत वर्जित है और रचनात्मक न्याय व्यवस्था से भी प्रभावित है। इसने पाया कि मुकदमा आदेश II नियम 2 और रचनात्मक न्यायपालिका के आधार पर खारिज किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा बर्खास्तगी अनिवार्य रूप से सी. पी. सी. के आदेश II नियम 2 के प्रावधानों के आधार पर थी और साथ ही इस आधार पर भी कि दूसरा अलगाव 11.02.1959 दिनांकित था।

पहले के मुकदमे का विषय होना चाहिए था। वास्तव में, अपीलीय न्यायालय ने पाया कि निचली अदालत अन्य बिंदुओं का जवाब देने में सही थी। यह ध्यान देने योग्य है कि प्रथम पी. आर. ए. एम. ओ. डी. कुमार और ए. एन. आर. में विचारण न्यायालय का निर्णय।

वी. ज़लक सिंह और हमारा। [के. एम. जोसेफ, जे.]

दीवानी अपील में मुकदमा पलट दिया गया और यह अंतिम हो गया है।

6. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने दोनों के आदेशों को उलट दिया

अदालतों ने पाया कि आदेश II नियम 2 एक बाधा नहीं होगा। आदेश II नियम 2 के लिए, पहले मुकदमे में कार्रवाई का कारण और दूसरे मुकदमे में कार्रवाई का कारण समान होना चाहिए। इस मामले में, टीकाराम द्वारा दो अलगाव थे जो कार्रवाई के दो कारणों को जन्म दे रहे थे। यह भी पाया गया है कि कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा।

7. हमने पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुना है और इस पर विचार किया है

रिकॉर्ड करें।

8. अपीलार्थियों के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि उच्च

न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुँचने में स्पष्ट रूप से गलती की है कि आदेश II नियम 2 एक बाधा नहीं था। आदेश II नियम 2 वास्तव में आकर्षित करता है। उन्होंने हमें दोनों मुकदमों में दलीलों के बारे में बताया और तर्क दिया कि दूसरे मुकदमे में कार्रवाई का कारण पहले मुकदमे में कार्रवाई के कारण के समान है। पहले मुकदमे की स्थापना की तारीख तक, दूसरा अलगाव विवादित होने के लिए बहुत अधिक उपलब्ध था और यह उत्तरदाताओं के लिए अलग-अलग मुकदमों में कार्रवाई के कारण को विभाजित करने और राहत मांगने के लिए खुला नहीं है जो ठीक वही है जो इस मामले में उत्तरदाताओं द्वारा किया गया है। उन्होंने कॉफी बोर्ड बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। रमेश एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड 1 और ए. बी. सी. लैमिनार्ट प्राइवेट लिमिटेड। लिमिटेड और ए. एन. आर. वी. ए. पी. एजेंसियां, सलेम 2.

9. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान परामर्श ने आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

VII नियम 1. वह बताते हैं कि दोनों मुकदमों में कार्रवाई का कारण अलग-अलग है। उन्होंने सीमा अधिनियम, 1963 के अनुच्छेद 109 की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया, जो इस प्रकार हैः

109 .

बारह वर्ष

द्वारा शासित एक हिंदू द्वारा

जब विदेशी लेता है

संपत्ति का अधिकार।

मिताक्षर कानून को दरकिनार किया जाएगा उसके पिता का अलगाव

पैतृक संपत्ति।

10. वह तर्क देगा कि सीमा की अवधि जहाँ तक

जहाँ तक पहली बिक्री विलेख का संबंध है, दूसरा बिक्री विलेख सीमा की अवधि से अलग है। सीमा की अवधि जहाँ तक दूसरी है 1 1 (2014) 6 एस. सी. सी. 424

2 (1989) 2 एससीसी 163 [2019] 7 एस. सी. आर.

अलगाव का संबंध केवल विदेशी द्वारा कब्जा लेने की तारीख से 12 साल की समाप्ति पर ही समाप्त होगा। उन्होंने आगे अलका गुप्ता बनाम में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया। नरेंदर गुप्ता 3.

11. पहला सवाल, जिसे हमें तय करने के लिए कहा जाता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय का यह मानना सही था कि आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध इस मामले के तथ्यों में लागू नहीं होगा। 12. इससे पहले, हम इस मुद्दे पर निर्णयों का विज्ञापन करते हैं कि दो मुकदमों में अभिवचनों को संदर्भित करना लाभदायक होगा।

13. 1963 के दीवानी मुकदमा संख्या 131 में, हम निम्नलिखित अभिवचनों पर ध्यान देते हैं।

प्रतिवादी (वादी) बनारस स्कूल द्वारा प्रशासित मिताक्षर स्कूल ऑफ लॉ द्वारा शासित हिंदू हैं। टीकाराम के पिता की मृत्यु तब हुई जब टीकाराम नाबालिग थे। टीकाराम के अल्पमत के दौरान, संपत्ति का प्रबंधन उनकी माँ द्वारा किया जाता था। बड़ा होने पर टीकाराम बुरी और अनैतिक आदतों में पड़ गया और शराबी बन गया। वह अन्य बुराइयों का भी आदी था। वह व्यर्थ की आदतों में लिप्त था और इसलिए अनैतिक उद्देश्यों के लिए अपनी संयुक्त परिवार की पैतृक संपत्ति को बेच दिया और इस तरह से संयुक्त परिवार के हित के लिए प्रतिकूल था। संबंधों के हस्तक्षेप पर, 11.01.1957 पर एक विभाजन दर्ज किया गया था, जो विधिवत पंजीकृत था। 14. विभाजन के समय, वादी संख्या 2 का जन्म हालांकि बाद में 02.06.1957 पर हुआ था और इस तरह वह ऐसा नहीं कर सकता था और न ही कर सकता था

उपरोक्त विभाजन में एक पक्ष बनाया। वादी संख्या 3 का जन्म 26.08.1959 पर हुआ था और इसलिए सूट संपत्ति में उनकी रुचि थी। जिसमे

विभाजन के समय, खसरा सं. 189 में 8,22 एकड़ का क्षेत्र मृतक टीकाराम या वादी सं. 1 के हिस्से में शामिल नहीं था, लेकिन उसके बाद इसे संयुक्त रखा गया था। हम निम्नलिखित पर ध्यान दे सकते हैं:

" (छ) सितंबर, 1958 के महीने में या उसके आसपास, वादी जानते थे कि टीकाराम उनकी जमीनें बेचना चाहते हैं और इसलिए उन्होंने हिंदू दैनिक "नवभारत" के 14 सितंबर, 1958 के अंक में एक सामान्य निषेधात्मक सूचना प्रकाशित की, जिसका गोंदिया और आसपास के क्षेत्र में व्यापक प्रसार है, जिसमें आम जनता को मृतक से भूमि के किसी भी हस्तांतरण को स्वीकार नहीं करने की चेतावनी दी गई है।

टीकाराम। बाद में वादी को पता चला कि प्रतिवादी मृत टीकाराम के साथ वाद भूमि के संबंध में बिक्री का अनुबंध करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने प्रतिवादियों की सेवा की।

ऊपर पैरा 1 (ई) में उल्लिखित भूमि खरीदने से बचने के लिए 4.1.1959 दिनांकित एक लिखित सूचना के साथ।

3 3 (2010) 10 एस. सी. सी. 141 प्रमोद कुमार और ए. एन. आर.

वी. ज़लक सिंह और हमारा। [के. एम. जोसेफ, जे.]

3. हालाँकि, चेतावनी और नोटिस के बावजूद प्रतिवादियों ने Kh.No का एक हिस्सा खरीदा। 189 एकड़ जमीन, जैसा कि वादी के नक्शे में विशेष रूप से पा, फा, बा, भा, मा अक्षरों द्वारा वर्णित है और लाल रंग में, 8,000/- रुपये के कथित विचार के लिए, दिनांकित 21.1.1959 पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से।

15. यह आगे का मामला है कि संपत्ति पैतृक संयुक्त परिवार की संपत्ति थी और अलगाव आवश्यकता या आवश्यकता के लिए नहीं था।

संपत्ति पर या पूर्ववर्ती ऋण के भुगतान के लिए लाभ प्रदान करना। इसे अलग रखा जा सकता है। वादी सं। 1 3 को जन्म से भूमि में ब्याज है और वादी संख्या 4 (टीकाराम की विधवा) का उनके साथ हिस्सा था। प्रतिफल का भुगतान काल्पनिक है और यह कभी पारित नहीं हुआ। बिना विचार के होने के कारण, अलगाव वैध नहीं थे और वादी पर बाध्यकारी नहीं थे और इस प्रकार इस कारण से अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी थे। इसके बाद कुछ और आरोप लगे जिनसे हम चिंतित नहीं हैं।

16. वादपत्र में वादी द्वारा मांगी गई राहत बिक्री विलेख को वादी संख्या 4 के हित पर बाध्यकारी नहीं घोषित करने के लिए थी और

उसे अधिकार की सुपुर्दगी या वैकल्पिक रूप से दिनांकित बिक्री विलेख को अलग करने और वादी को अधिकार की सुपुर्दगी के लिए एक डिक्री, अपने लाभ के बारे में जांच और कुछ निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए अनिवार्य निषेधाज्ञा के लिए।

17. आइए अब हम दूसरे मुकदमे में दलीलों को देखें। 1971 का दीवानी मुकदमा सं. 34।

18. इसमें भी वादी और प्रतिवादी समान हैं। इसे अन्य बातों के साथ इस प्रकार कहा गया हैः

भूमिधारी भूमि ख। नं. 189 क्षेत्र गोंडिया गाँव में स्थित 8,22 एकड़ वादी नं. 1 , 2 और 3. वादी संख्या 4 वादी संख्या 4 की माँ है। 1 3 तक। वादी हिंदू हैं और बनारस स्कूल द्वारा प्रशासित मिताक्षर कानून द्वारा शासित हैं। टीकाराम के अनैतिक आदतों में पड़ने और एक अधर्मी शराबी बनने और अनैतिक उद्देश्यों के लिए संयुक्त परिवार की पैतृक भूमि बेचने के बारे में भी यही आरोप लगाए गए थे। इसने दिनांकित 11.01.1957 विभाजन का भी उल्लेख किया। के. एच. से संबंधित आरोप भी थे। सं. 189 जिसमें 8,22 एकड़ भूमि को मृतक टीकाराम या वादी सं. 1 के हिस्से में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन संयुक्त रखा गया था। यह दूसरे वाद के पैरा 3 को निकालने के लिए प्रासंगिक है जो निम्नलिखित प्रभाव के लिए हैः

" हालाँकि, चेतावनी और नोटिस के बावजूद प्रतिवादियों ने ख का एक हिस्सा खरीदा। नहीं। 189 [2019] 7 एस. सी. आर. के मृत पिता से।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21.01.1959 . वादी ने कथित बिक्री को दरकिनार करने के लिए प्रतिवादियों के खिलाफ 1963 का सी. एस. सं. 131 दायर किया है। मुकदमा निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद वादी ने दीवानी याचिका दायर की है
उक्त निर्णय और डिक्री के खिलाफ अपील सं. 22/69 जो अब भंडारा 4 (ए) में सहायक न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित है। कि टीकाराम वादी के मृत पिता फिर से

11.02.1959 सूट के. एच. में से 4.82 एकड़ का क्षेत्र बेच दिया। नं. 189 वादी को ऊपर बताई गई परिस्थितियों के तहत और जैसा कि

वादी के नक्शे में का, खा, गा, घ, चा, छा, जा, ता, था, दा, ना और पा अक्षरों द्वारा वर्णित और लाल रंग में, कथित के लिए
दिनांकित पंजीकृत बिक्री विलेख के माध्यम से Rs.4000/- पर विचार

11.2.1959 और उसी को इस मुकदमे में अलग रखने की मांग की गई है।

19. यह आगे कहा गया है कि भूमि को एक पैतृक संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के रूप में माना जाना चाहिए और अलगाव आवश्यकता या आवश्यकता के लिए नहीं है।

संपत्ति पर या पूर्ववर्ती ऋण के भुगतान के लिए लाभ प्रदान करना और इसे अलग रखा जाना चाहिए।

20. अभिवचनों को संदर्भित करने के बाद, आइए हम जांच करें कि उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया है। उच्च न्यायालय का मानना है कि एक ही दायित्व के तहत उत्पन्न होने वाले सभी क्रमिक दावों को कार्रवाई का एक कारण माना जाएगा। यह आगे पाता है कि मामले का सार यह है कि अलग-अलग तिथियों पर भूमि के अलग-अलग क्षेत्रों के दो अलगाव हैं, और हालांकि वे एक ही पक्ष के पक्ष में हैं, यह कार्रवाई के एक से अधिक कारणों को जन्म देगा। यह आगे पाया गया कि पहले अलगाव के लिए पहले मुकदमे तक सीमित होने से, यह नहीं पाया जा सका कि वादी ने दावों को विभाजित किया है या उपचार को विभाजित किया है। एक ही पक्ष के पक्ष में दूसरे बिक्री विलेख का निष्पादन कार्रवाई के विशिष्ट और अलग कारण को जन्म देता है। उच्च न्यायालय आगे आदेश II नियम 2 सी. पी. सी. में चित्रों का उल्लेख करने के लिए आगे बढ़ता है, जो इस प्रकार हैः

" ए बी को रुपये के वार्षिक किराए पर एक घर देता है। 1200. 1905, 1906 और 1907 के पूरे वर्षों का किराया देय और अवैतनिक है। ए 1908 में बी पर केवल 1906 के लिए देय किराए के लिए मुकदमा करता है। 'क' बाद में 'ख' पर 1905 या 1907 के लिए देय किराए के लिए मुकदमा नहीं करेगा।

21. इसके बाद, उच्च न्यायालय एक मामला लेने के लिए आगे बढ़ता है जहां ए के पास दो घर हैं और वह उन्हें बी के पास जाने देता है।

एक घर के संबंध में किराए का बकाया, हालांकि दूसरे घर के संबंध में भी बकाया था। उच्च न्यायालय का विचार है कि यह प्रमोद कुमार और ए. एन. आर. है।

वी. ज़लक सिंह और हमारा। [के. एम. जोसेफ, जे.]

वादी द्वारा कार्रवाई के कारणों और दूसरे वाद दोनों को एकजुट करने या न करने का विकल्प वर्जित नहीं होगा।

22. मोहम्मद खलील खान बनाम के मामले में। महबूब अली मियाना, अवध में संपत्ति से संबंधित पहला मुकदमा। दलों के थे

सुन्नी संप्रदाय और संपत्तियाँ एक रानी बरकतुन्नीसा की थीं, जिनके पास शाहजहांपुर और अवध में संपत्तियाँ थीं। पहले मुकदमे में शाहजहांपुर की संपत्ति शामिल नहीं थी। न्यायालय भारत में न्यायालयों द्वारा लिए गए विचारों को बरकरार रखने के लिए आगे बढ़ा और इस निष्कर्ष को बनाए रखा कि शाहजहांपुर में संपत्ति के संबंध में दूसरा मुकदमा आदेश II नियम 2 के आधार पर वर्जित था। पैराग्राफ का उल्लेख करना लाभदायक होगा।

45 और 46 जब वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कार्रवाई का कारण क्या हैः

मूनशी बुजलूर रुहीम बनाम में इंगित किया गया है। शमसुन्निसा बेगम (1867) 11 एम. आई. ए. 551।

इस तरह के सभी मामलों में सही परीक्षण यह है कि क्या नए मुकदमे में दावा वास्तव में कार्रवाई के कारण पर आधारित है।

जो पूर्व सूट की नींव थी।

नियम का उद्देश्य स्पष्ट रूप से दावों के विभाजन से बचना है

और सूट की बहुलता को रोकने के लिए "।

46. " प्रत्येक तथ्य जिसे वादी के लिए न्यायालय के निर्णय के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए, यदि पार किया जाता है, तो साबित करना आवश्यक होगा। इसमें प्रत्येक तथ्य को साबित करने के लिए आवश्यक सबूत नहीं हैं, बल्कि प्रत्येक तथ्य है जो आवश्यक है।

साबित करने के लिए "।

मैं मास्टर ऑफ रोल्स द्वारा कार्रवाई के कारण की दी गई परिभाषा से सहमत हूं, और यह कि इसमें हर वह तथ्य शामिल है जिसे साबित करना आवश्यक होगा, यदि पार किया जाता है, ताकि एक वादी को सक्षम किया जा सके अपनी
क्रिया को बनाए रखें।

अब कार्रवाई के कारण का प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए जाने वाले बचाव से कोई संबंध नहीं है, और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह पूरी तरह से कार्रवाई के कारण के रूप में शिकायत में निर्धारित आधारों को संदर्भित करता है,

या, दूसरे शब्दों में, उस मीडिया के लिए जिस पर वादी पूछता है

अदालत को उसके पक्ष में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना है। 23. प्रिवी काउंसिल ने सिद्धांतों को संक्षेप में प्रस्तुत किया

ग्राफ 61, जो इस प्रकार हैः

" 61. अब तक जिन मामलों पर चर्चा की गई है, उनमें निर्धारित सिद्धांत

संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता हैः

(1) ओ. 2 आर. 2 के तहत आने वाले मामलों में सही परीक्षण यह है कि "क्या नए मुकदमे में दावा वास्तव में कार्रवाई के उस कारण पर आधारित है जो पहले के मुकदमे के लिए आधार था।

(2) कार्रवाई के कारण का अर्थ है हर वह तथ्य जो आवश्यक होगा।

वादी के लिए यह साबित करने के लिए कि क्या उसके अधिकार का समर्थन करने के लिए पार किया गया है

(3) यदि दोनों दावों का समर्थन करने वाले साक्ष्य अलग-अलग हैं, तो कार्रवाई के कारण भी अलग-अलग हैं। (4) दोनों मुकदमों में कार्रवाई के कारणों को समान माना जा सकता है यदि वे सार में समान हैं।

(5) कार्रवाई के कारण का प्रतिवादी द्वारा स्थापित किए गए बचाव से कोई संबंध नहीं है और न ही यह वादी द्वारा मांगी गई राहत के चरित्र पर निर्भर करता है। यह उस मीडिया को संदर्भित करता है जिस पर वादी न्यायालय से किसी मुद्दे पर पहुंचने के लिए कहता है।

उसके पक्ष में निष्कर्ष "।

24. इसके अलावा, पैराग्राफ 63 में, न्यायालय ने इस प्रकार कहा हैः

" 63. संपत्तियों की वसूली के लिए वादी की कार्रवाई के कारण में वे तथ्य शामिल हैं जो उन्हें संपत्तियों पर अपना अधिकार स्थापित करने का अधिकार देंगे। ये तथ्य दोनों संपत्तियों के संबंध में समान हैं, ये हैं कि रानी बरकतुन्नीसा संपत्तियों की मालिक थीं; कि 13 फरवरी, 1927 को उनकी मृत्यु हो गई, कि वे आस्था से सुन्नी थीं और वे दोनों ही उनके उत्तराधिकारी हैं।

मुसलमान कानून।

पक्षकारों के आचरण को ध्यान में रखते हुए उनके प्रभुत्त्वों का विचार है कि पक्षकारों द्वारा व्यवहार करने की प्रक्रिया दोनों संपत्तियों का समान था और अवध संपत्ति पर वादी के अधिकार और शाहजहांपुर प्रमोद कुमार और ए. एन. आर. के कब्जे से इनकार।

वी. ज़लक सिंह और हमारा। [के. एम. जोसेफ, जे.]

प्रतिवादियों द्वारा उस इनकार के परिणामस्वरूप प्राप्त संपत्ति यह उसी लेन-देन का हिस्सा था। इस सवाल पर उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने दो स्थानों पर अपनी राय व्यक्त की है।

उनके निर्णय में इस प्रकार हैः

" हमारे समक्ष मामले में जहां तक अवध मुकदमे का संबंध है, मामले में मालिकाना हक या मालिकाना हक की बदनामी पर अतिक्रमण अलग नहीं था।

और या तो समय के बिंदु या चरित्र के बिंदु से अलग

शाहजहांपुर के मामले में कब्जे पर अतिक्रमण

संपत्ति "।

" यहाँ वर्तमान मामले में हम पाते हैं कि दो अतिचार, एक पर शाहजहांपुर की संपत्ति और अवध की संपत्ति पर दूसरी संपत्ति चरित्र में समान थी और उसी लेन-देन का हिस्सा थी और उन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य जो वादी के लिए साबित करना आवश्यक था, वही था और आवश्यक वस्तुओं का बंडल था।

तथ्य भी वही थे। 99 25. इस मोड़ पर, हम आदेश II नियम 2 का विज्ञापन कर सकते हैं, जो

इस प्रकार हैः

" 2. पूरा दावा शामिल करने के लिए वाद (1) प्रत्येक वाद में वह पूरा दावा शामिल होगा जो वादी कार्रवाई के कारण के संबंध में करने का हकदार है, लेकिन एक वादी अपने दावे के किसी भी हिस्से को त्याग सकता है।

किसी भी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर मुकदमा।

(2) दावे के हिस्से का त्याग-जहां कोई वादी अपने दावे के किसी भी हिस्से के संबंध में मुकदमा करना छोड़ देता है, या जानबूझकर छोड़ देता है, तो वह बाद में इस तरह से छोड़े गए या छोड़े गए हिस्से के संबंध में मुकदमा नहीं करेगा।

(3) कई राहतों में से एक के लिए मुकदमा करने में चूक-कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में एक से अधिक राहत का हकदार व्यक्ति। ऐसी सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा कर सकता है; लेकिन यदि वह अदालत की अनुमति के अलावा, ऐसी सभी राहतों के लिए मुकदमा करने में चूक करता है, तो वह बाद में इस तरह से छोड़ी गई किसी भी राहत के लिए मुकदमा नहीं करेगा।

26. आदेश II नियम 2 (1) में प्रावधान है कि एक वादी को दावे का ई शामिल करना है, जिसे वह कारण के संबंध में करने का हकदार है।

यह। हालाँकि, यह उनके लिए (2019) 7 एस. सी. आर. के किसी भी हिस्से को छोड़ने के लिए खुला है।

दावा करें। आदेश II नियम 2 त्याग के परिणामों का प्रावधान करता है। दावे के एक हिस्से का और दावे के एक हिस्से को छोड़ने के परिणाम भी। यह घोषणा करता है कि यदि कोई वादी जानबूझकर मुकदमा करने या त्याग करने से चूक जाता है

अपने दावे के किसी भी हिस्से पर, उसे उस हिस्से पर मुकदमा करने से रोक दिया जाएगा जिसे इस प्रकार छोड़ दिया गया है या छोड़ दिया गया है। हालाँकि, आदेश II नियम 2 (3) कार्रवाई के एक ही कारण के संबंध में सभी या किसी भी राहत के लिए मुकदमा करने में चूक के प्रभाव से संबंधित है। इस तरह की चूक के परिणाम वादी को किसी भी राहत के लिए मुकदमा करने से रोकने के लिए होंगे जिसे इस तरह से छोड़ दिया गया है। एकमात्र अपवाद तब होता है जब वह न्यायालय की अनुमति प्राप्त करता है। इस न्यायालय के हाल के एक फैसले में, कन्या उद्योग (अंग्रेजी) में आदेश II नियम 2 (1) और आदेश II नियम 2 (3) के बीच के अंतर को संक्षेप में सामने लाया गया है। (पी) लिमिटेड v. वेंचरटेक सॉल्यूशंस (पी) Ltd.5,। इस न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित निर्णय दिया हैः

" आदेश 2 नियम 1 सी. पी. सी. प्रत्येक वाद से उस पूरे दावे को शामिल करने की अपेक्षा करता है जिसके लिए वादी किसी भी मामले के संबंध में हकदार है।

कार्रवाई का विशेष कारण। हालाँकि, वादी के पास अपने दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ने का विकल्प है यदि वह ऐसा करना चाहता है। आदेश 2

नियम 2 सी. पी. सी. एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां एक वादी मुकदमा करने से चूक जाता है या जानबूझकर दावे के किसी भी हिस्से को छोड़ देता है जिसे वह करने का अधिकार है। यदि वादी ऐसा कार्य करता है, तो आदेश 2 नियम 2 यह स्पष्ट करता है कि वह बाद में इसके भाग या भाग के लिए मुकदमा नहीं करेगा।

दावा जिसे छोड़ दिया गया है या त्याग दिया गया है। न्यायालय की अनुमति पर आदेश 2 नियम 2 (3) द्वारा उन स्थितियों में विचार किया जाता है जहां एक वादी किसी विशेष कारण पर एक से अधिक राहत का हकदार होता है - कार्रवाई, ऐसी सभी राहतों के लिए मुकदमा करना छोड़ देता है। ऐसी स्थिति में, वादी को अदालत की अनुमति प्राप्त करने की स्थिति को छोड़कर पहले छोड़ी गई राहत का दावा करने के लिए बाद का मुकदमा लाने से रोक दिया जाता है। आदेश 2 नियम 2 (2) और (3) के प्रावधानों के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि आदेश 2 नियम 2 के उपरोक्त दो उप-नियम दो अलग-अलग स्थितियों पर विचार करते हैं, अर्थात्, जहां कोई वादी दावे के एक हिस्से को छोड़ देता है या छोड़ देता है जो वह करने का हकदार है और दूसरा, जहां वादी उन कई राहतों में से एक को छोड़ देता है या छोड़ देता है जो वह मुकदमे में दावा कर सकता था। यह केवल बाद की स्थितियों में है जहां वादी बाद में राहत की मांग करते हुए मुकदमा दायर कर सकता है।

पहले के मुकदमे ने साबित किया कि विशेष राहत का दावा करने में चूक के समय उन्होंने पहले मुकदमे में अदालत की अनुमति प्राप्त की थी।

5 (2013) 1 एस. सी. सी. 625 प्रमोद कुमार और ए. एन. आर.

वी. ज़लक सिंह और हमारा। [के. एम. जोसेफ, जे.]

आदेश 2 नियम 2 (2) और (3) सी. पी. सी. के अधिनियमन के पीछे का उद्देश्य तलाशने के लिए दूर नहीं है। नियम एक प्रशंसनीय सिद्धांत को शामिल करता है जो प्रतिवादी को बार-बार कई मुकदमों द्वारा परेशान करने को हतोत्साहित/प्रतिबंधित करता है, सिवाय उस स्थिति के जब कई राहतों में से एक, हालांकि एक वादी के लिए उपलब्ध है, एक अच्छे कारण के लिए दावा नहीं किया गया हो। इस तरह की राहत के लिए एक बाद के मुकदमे पर केवल अदालत की अनुमति के साथ विचार किया जाता है, जो स्वाभाविक रूप से मंजूर किया जाएगा।

उचित संतुष्टि पर और अच्छे और पर्याप्त कारणों से।

27. इस प्रकार, दावे के एक हिस्से को शामिल करने में चूक या कार्रवाई के कारण से आने वाले दावे के एक हिस्से को छोड़ने के संबंध में, परिणाम यह है कि वादी को इस प्रकार छोड़े गए या छोड़े गए दावे के संबंध में बाद में मुकदमा दायर करने से पूरी तरह से रोक दिया गया है। हालाँकि, यदि कार्रवाई के कारण से उत्पन्न होने वाले एक मुकदमे में अलग-अलग राहत की मांग की जा सकती है, यदि अदालत से अनुमति प्राप्त की जाती है, तो पहले के मुकदमे में दावा किए गए एक से अलग राहत के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया जा सकता है। तीन अभिव्यक्तियाँ हैं जो आदेश II नियम 2 में पाई जाती हैं। सबसे पहले, "कार्रवाई का कारण" शब्द का संदर्भ है, दूसरा शब्द "दावा का संकेत है" और अंत में "राहत" का संदर्भ दिया जाता है।

28. बचाव पक्ष, जो प्रतिवादियों द्वारा स्थापित किया गया है, यह निर्धारित करने के लिए अप्रासंगिक होगा कि कार्रवाई का कारण क्या है। वादी द्वारा मांगी गई राहत इस बात का निर्धारण नहीं करेगी कि कार्रवाई का कारण क्या है। कार्रवाई का कारण, जैसा कि मोहम्मद खलील खान मामले (उपरोक्त) में प्रिवी काउंसिल द्वारा समझाया गया है, का अर्थ है वह मीडिया जिसके माध्यम से वादी उसे राहत देने के लिए अदालत को राजी करना चाहता है। इसलिए, इसे तथ्यात्मक और कानूनी आधार या आधार कहा जा सकता है जिस पर अदालत को वादी द्वारा अपने पक्ष में मामले का फैसला करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। यह भी स्पष्ट है कि दोनों मुकदमों में कार्रवाई का कारण समान होना चाहिए। समान होने के लिए, जो मायने रखता है, वह पदार्थ का सार है।

दो सूट। कॉफी बोर्ड ने निर्यात के लिए डाक टिकट प्रणाली प्रदान की थी कॉफी से। वादी की शिकायत थी कि प्रतिवादी टिकटों की आपूर्ति करने में विफल रहे लेकिन देरी हुई और इसके परिणामस्वरूप नुकसान हुआ। यह है।

अदालत ने क्या कहाः

" 12. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई मुकदमा आदेश 2 नियम 2 द्वारा वर्जित है, अदालतों को वादी द्वारा संबंधित मुकदमों में दायर अपनी दलीलों में की गई कार्रवाई के कारण की जांच करनी चाहिए (एस. नजीर [2019] 7 एस. सी. आर. देखें।

अहमद बनाम। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर; 2007 (11)। एससीसी 75)। विचार करें। आदेश 2 नियम 2 की याचिका की तकनीकीता, दोनों पक्षकार

कार्रवाई के कारण की पहचान करने के लिए समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए, जो है

एक दावा स्थापित करने के लिए आवश्यक या वादी के लिए आवश्यक साबित करें कि क्या पार किया गया है। इसलिए कार्रवाई के कारण की पहचान करने के बाद

यदि यह पाया जाता है कि दोनों मुकदमों में कार्रवाई का कारण है

समान और बाद के मुकदमे में दावा की गई राहत हो सकती थी पहले के मुकदमे में अनुरोध किया गया था, फिर बाद का मुकदमा वर्जित है

आदेश 2 नियम 2 के अनुसार।

XXX

XXX

XXX

16. 1985 के ओएस सं. 3150 में पूर्ववर्ती वाद होने के कारण,

इसमें वादी होने के नाते प्रतिवादी द्वारा यह दावा किया गया है

कि अपीलार्थी प्रतिवादी होने के नाते आई. सी. ओ. टिकटों की आपूर्ति करने में विफल रहा के बीच निर्यात के लिए उसके द्वारा खरीदी गई 268.08 टन कॉफी के लिए

11-8-1982 और 8-9-1982, इसके आश्वासनों के बावजूद देरी हो रही है

कॉफी के शिपमेंट में जिसके परिणामस्वरूप वादी को नुकसान होता है। उस पर

उसी के आधार पर, प्रतिवादी ने नुकसान के लिए दावा किया

उसे नुकसान के साथ-साथ भुगतना पड़ा। उत्तरदाता आगे अभिनिर्धारित किया कि मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण विभिन्न पर उत्पन्न हुआ

तारीखें जब प्रतिवादी ने अपीलार्थी से कॉफी खरीदी थी

उनके द्वारा आयोजित नीलामी में इस आश्वासन पर कि ICO मुहर लगाता है अपीलार्थी द्वारा उन्हें आपूर्ति की जाएगी।

17. उपरोक्त मुकदमे में कार्रवाई का कारण आईसीओ की विफलता है।

प्रत्यर्थी को उसके आश्वासनों के बावजूद टिकटों की आपूर्ति करना। द.

प्रत्यर्थी को अपने दावे की सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक था

साबित करें कि अपीलार्थी की चूक यानी विफलता के कारण

उनके द्वारा खरीदी गई कॉफी के लिए आईसीओ टिकट प्रदान करने के लिए, प्रतिवादी को नुकसान उठाना पड़ा। "

30. अदालत ने आगे कहा कि वादी केवल सफल हो सकता है

डाक टिकट उपलब्ध कराने में अपीलार्थी द्वारा विफलता साबित करना। मुकदमे में जमीन का अंतर ई की राशि और उसे खरीदने की तारीख के संबंध में पाया गया।

31. प्रत्यर्थियों ने अलका में फैसले से समर्थन मांगा

ए वी। नरेंद्र कुमार गुप्ताओ। अपीलार्थियों और प्रत्यर्थियों ने नई दिल्ली में "पी" स्थान पर एक संस्थान चलाने के लिए साझेदारी की।

इसके बाद, अविभाजित आधे हिस्से को बेचने के लिए एक समझौता किया गया

(घ) 10 एस. सी. सी. 141 प्रमोद कुमार और ए. एन. आर. वी. ज़लक सिंह और हमारा। [के. एम. जोसेफ, जे.]

शेयर करें। प्रत्यर्थियों ने बिक्री पर विचार के केवल एक हिस्से का भुगतान किया जिसके कारण अपीलार्थी द्वारा शेष राशि के लिए मुकदमा दायर किया गया। मुकदमा तय किया गया था। इसके बाद, अपीलार्थी ने 05.04.2000 से उस अवधि के लिए खातों को प्रस्तुत करने के लिए बाद का मुकदमा दायर किया, जिस तारीख को साझेदारी विलेख 31.07.2004 तक निष्पादित किया गया था। अपीलार्थी के अनुसार, साझेदारी अपनी इच्छानुसार थी और इसे भंग कर दिया गया था। इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को पलट दिया कि मुकदमा आदेश II नियम 2 और रचनात्मक न्यायपालिका के सिद्धांतों द्वारा वर्जित था। न्यायालय ने गुरबक्स सिंह बनाम मामले में इस न्यायालय के फैसले का पालन किया। भुरालाल 7, और अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गयाः

" एक खंड पीठ ने उस निर्णय को इस आधार पर बरकरार रखा कि मुकदमा आदेश 2 नियम 2 सी. पी. सी. द्वारा वर्जित था और अपीलार्थी ने बयान के तहत प्रतिवादी के साथ अपने सभी दावों का निपटारा किया था। दिनांकित समझौता 29.06.2004। तब वर्तमान अपील दायर की गई थी

विशेष अवकाश पर।

पहले मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण कीमत का भुगतान न करना था।

आर में संपत्ति और उसमें "तक्षशिला संस्थान" के नाम से चलने वाला व्यवसाय और दूसरा मुकदमा साझेदारी को संदर्भित करता है। पी में भी तक्षशिला संस्थान के नाम से चलाए जाने वाले व्यवसाय के संबंध में, यह नहीं माना जा सकता कि दोनों मुकदमे कार्रवाई के एक ही कारण से संबंधित हैं ताकि आदेश 2 नियम 2 सी. पी. सी. को आकर्षित किया जा सके।

32. जहाँ तक रेस जुडिकाटा की याचिका का संबंध है, यहाँ क्या है

न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

स्थापित, विशेष रूप से जहां बार की मांग की गई है, वह रचनात्मक रेस जुडिकाटा के आधार पर है। वादी जिसकी मांग की जाती है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा के बार द्वारा रोके जाने पर याचिका के बारे में नोटिस होना चाहिए और उसके खिलाफ अपनी दलीलें रखने का अवसर होना चाहिए। वर्तमान मामले में, कोई रचनात्मक न्यायिक याचिका नहीं थी, न ही अपीलार्थी-वादी को इस तरह की याचिका के आधार पर मामले से मिलने का अवसर था। न्याय संगतता

' AIR 1964 SC 1810 [2019] 7 S. C. R.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इसका अर्थ है "एक निर्णय की गई चीज़", अर्थात एक ऐसा मुद्दा जिसे अंततः सुलझा लिया जाता है। न्यायिक निर्णय द्वारा।
रचनात्मक रेस जुडिकाटा का सिद्धांत

व्याख्या IV से धारा 11 सी. पी. सी. तक जब इसके साथ पढ़ा जाता है

एकर व्याख्या III जे दुनू पदार्थक अवधारणाक व्याख्या करैत अछि। प्रत्यक्ष रूप से और काफी हद तक मुद्दे में "। इसे देखते हुए, भले ही एक

रक्षा या हमले का विशेष आधार वास्तव में नहीं लिया गया था

पहले का सूट, अगर यह दूसरे सूट में लिया जा सकता था

राहतों से संबंधित है जिनका उसी पर दावा किया जाना चाहिए था कार्रवाई का कारण लेकिन दावा नहीं किया गया।

33. भारत संघ में v. एच. के. ध्रुव 3, न्यायालय ने अन्य बातों के साथ कहा,

इस प्रकार हैः

" 4. अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील को सुनने के बाद

साथ ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले प्रतिवादी के रूप में, हम संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। में।

आदेश 2 नियम 2 द्वारा अधिनियमित बार की प्रयोज्यता को आकर्षित करने के लिए आदेश

सी. पी. सी., यह आवश्यक है कि कार्रवाई का कारण जिस पर बाद का दावा दावेदार के सामने होना चाहिए था

जब उन्होंने किसी भी पहले दावे को लागू करने की मांग की अदालत। के निर्णय में पाए गए और दर्ज किए गए तथ्यों पर

प्रत्यर्थी द्वारा उठाई गई मांग उपलब्ध नहीं थी पहले आवेदन में उठाए गए दावे का एक हिस्सा। बार अधिनियमित

आदेश 2 नियम 2 द्वारा सी. पी. सी. स्पष्ट रूप से आकर्षित नहीं है।

(जोर दिया गया)

34. एस. नजीर अहमद बनाम। स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, अपीलार्थी /

प्रतिवादी ने वादी के बैंक से कुछ पैसे उधार लिए और दो वस्तुओं को गिरवी रखा। बैंक द्वारा दायर धन मुकदमे का फैसला सुनाया गया था। निष्पादन की कार्यवाही असफल रही क्योंकि बस, जिसका अनुमान लगाया गया था, का पता नहीं लगाया जा सका। बैंक ने बंधक की गई संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया। अपीलार्थी ने यह बताते हुए इसका विरोध किया कि बंधक पर कोई आदेश नहीं था और बैंक केवल संपत्तियों को कुर्क कर सकता था और इसे बेच नहीं सकता था

8 (2005) 10 एससीसी 218

9 9 (2007) 11 एस. सी. सी. 75 प्रमोद कुमार और ए. एन. आर.

सीधे। उक्त आपत्ति को बरकरार रखा गया। इसके बाद, बैंक ने न्यायसंगत बंधक को लागू करने के लिए दूसरा मुकदमा दायर किया।

इस न्यायालय ने यह विचार रखने के लिए आगे बढ़ना शुरू किया कि दूसरे मुकदमे में कार्रवाई का कारण अलग था। न्यायालय ने आदेश XXXIV नियम 14 से भी समर्थन प्राप्त किया और निम्नानुसार निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ाः

मध्यावधि ऋण की वसूली के लिए पहले के मुकदमे को देखते हुए संहिता के आदेश 2 नियम 2 द्वारा प्रभावित, विशेष रूप से आदेश के संदर्भ में 34 संहिता का नियम 14। कार्रवाई के दो कारण अलग-अलग हैं, हालांकि वे एक ही लेन-देन के हिस्से हो सकते हैं। यहाँ तक कि

अन्यथा, नियम 15 के साथ पठित आदेश 34 नियम 14 उस बाधा को हटा देता है जो संहिता के आदेश 2 नियम 2 के आधार पर आकर्षित हो सकती है। प्यू में रंगून उच्च न्यायालय का निर्णय

नगरपालिका बनाम यू. तुन न्येन (ए. आई. आर. 1933 रंगून 158) अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा भरोसा किया गया था, जो उसे इस स्थिति के लिए सफलतापूर्वक प्रचार करने में सक्षम नहीं बनाता है कि वर्तमान वाद संहिता के आदेश 2 नियम 2 द्वारा वर्जित था, क्योंकि उक्त निर्णय ने स्वयं आदेश 34 नियम 14 के प्रभाव को इंगित किया है और जो हम ऊपर बता चुके हैं।

35. आइए हम पहले प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील के तर्क पर विचार करें कि सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 109 के तहत, सीमा की अवधि विदेशी द्वारा प्राप्त कब्जे की तारीख से शुरू होती है, और इसलिए, दूसरे मुकदमे के लिए कार्रवाई का कारण, दिनांकित 11.02.2019 के संबंध में, पहले के मुकदमे से अलग होगा, क्योंकि पहले की तारीख के बिक्री विलेख के संबंध में, इसकी सीमा की अवधि अलग होगी। हमारा विचार है कि अनुच्छेद 109 के तहत सीमा की अवधि पहली बिक्री विलेख के संबंध में सीमा की अवधि से अलग है, इसलिए आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध को बाहर नहीं किया जा सकता है। आदेश II नियम 2 में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान नहीं किया जा सकता है। कार्रवाई के कारण उत्पन्न होने वाले सभी दावों और राहतों को एक ही मुकदमे में समझा जाना चाहिए। आदेश II नियम 2 में विश्राम के सिद्धांत का प्रावधान है। अगर ऐसा है तो

आदेश II नियम 2 का अंतर्निहित उद्देश्य, यह तथ्य कि उस समय जब पहला मुकदमा दायर किया गया था, भले ही दूसरे अलगाव को चुनौती दी जा सकती थी और यह कार्रवाई के एक ही कारण से उत्पन्न हुआ था न कि दो अलग-अलग [2019] 7 एस. सी. आर.

कार्रवाई के कारण, केवल यह तथ्य कि सीमा की एक अलग अवधि प्रदान की गई है, आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध के रास्ते में खड़ा नहीं हो सकता है।

36. अब, आइए हम आदेश VII नियम 1 सी. पी. सी. के आधार पर प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील के आगे के तर्क पर विचार करें। आदेश VII नियम 1

वादी में निहित किए जाने वाले विवरणों का प्रावधान करता है। इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह प्रावधान किया गया है कि कार्रवाई के कारण का गठन करने वाले तथ्यों और यह कब उत्पन्न हुआ, का अनुरोध किया जाए। जाहिरा तौर पर, उत्तरदाताओं का तर्क सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 109 के संबंध में है, अनुच्छेद 109 में प्रदान की गई कार्रवाई का कारण विलेख के 11.02.1959 होने की तारीख से शुरू होगा, और इसलिए, इसकी सीमा की अवधि अलग है जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है। यह इंगित करता है कि दूसरे मुकदमे में उठाए गए कार्रवाई का कारण, पहले मुकदमे में कार्रवाई के कारण के समान नहीं है। हमारा विचार है कि यह तर्क एक गलतफहमी पर आगे बढ़ता है कि क्या गठन करता है

कार्रवाई का कारण। कई फैसलों में कार्रवाई का कारण समझाया गया है। यह तथ्यों का बंडल है, जिसे अगर पार किया जाए, तो साबित किया जाना चाहिए। हालाँकि, जैसा कि प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया है, यह भी समझा जाएगा कि इसका अर्थ मीडिया है जिसके माध्यम से वादी द्वारा अदालत के हस्तक्षेप की मांग की जाती है।

37. कानूनी आधार/तथ्यात्मक मैट्रिक्स क्या है जिसके आधार पर वादी डिक्री चाहता है? 38. इस मामले में, हमने दलीलों पर ध्यान दिया है। वादी का मामला ऐसा प्रतीत होता है कि संपत्ति पैतृक संपत्ति है। उनके देर से

विभाजन विलेख से बाहर रखा गया। उन्होंने बिना जमीन के 8.22 एकड़ जमीन बेचने का फैसला किया। संयुक्त परिवार के लिए कोई कानूनी आवश्यकता और बिना किसी लाभ के होना। लेन-देन का पहला भाग, जिसमें दो भाग शामिल थे, दिनांकित 21.01.1959 के बिक्री विलेख से संबंधित था और यह लेनदेन का विषय था।

पहला सूट। उक्त पहला मुकदमा दायर करने के समय, दिवंगत पूर्ववर्ती ने-वादी के हित में, एक और बिक्री विलेख भी निष्पादित किया था जिसमें शेष भाग शामिल था जिसमें 8,22 एकड़ शामिल था जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है। मुकदमों में दोनों लेन-देन के संबंध में लगभग समान कथन थे। पहला मुकदमा 1963 में और दूसरा मुकदमा 1971 में दायर किया गया था।

39. हमारा विचार है कि ऐसी परिस्थितियों में, यह एक ऐसा मामला है जिसमें वादी को प्रमोद कुमार और ए. एन. आर. स्थापित करने के रूप में राहत शामिल करनी चाहिए थी।

वी. ज़लक सिंह और हमारा। [के. एम. जोसेफ, जे.]

दूसरी बिक्री विलेख को भी अलग रखें। यह ऐसा मामला नहीं है जब वादी द्वारा पहला मुकदमा दायर करने के समय दूसरा बिक्री विलेख निष्पादित नहीं किया गया था। हम, एक पल के लिए, बिक्री विलेख के बाद में निष्पादित किए जाने के प्रभाव की घोषणा मुकदमे की संस्था को नहीं कर रहे हैं जैसा कि हम करते हैं।

ऐसी बिक्री के प्रभाव पर उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि प्रत्यर्थी/वादी के लिए यह खुला है कि वह अपने पूर्ववर्ती द्वारा ब्याज में निष्पादित दूसरी बिक्री के संबंध में राहत मांगे और वही पक्ष (प्रतिवादी) जो हमारे सामने अपीलकर्ता हैं, उनके पक्ष में क्या अधिक महत्वपूर्ण है।

40. उच्च न्यायालय आदेश II नियम 3 के आधार पर तर्क करने के लिए आगे बढ़ा है। यह वादी के लिए कार्रवाई के कारणों को जोड़ने के लिए खुला है। आदेश II नियम 3 इस प्रकार हैः

(1) जैसा कि अन्यथा प्रदान किया गया है, एक वादी एक ही मुकदमे में एक ही प्रतिवादी, या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से कार्रवाई के कई कारणों को एकजुट कर सकता है; और कोई भी वादी जिसके पास कार्रवाई के कारण हैं जिसमें वे एक ही प्रतिवादी या एक ही प्रतिवादी के खिलाफ संयुक्त रूप से रुचि रखते हैं, एक ही मुकदमे में कार्रवाई के ऐसे कारणों को एकजुट कर सकते हैं। (2) जहां कार्रवाई के कारण एकजुट हैं, मुकदमे के संबंध में न्यायालय की अधिकारिता समग्र विषय की राशि या मूल्य पर निर्भर करेगी-मुकदमे को स्थापित करने की तारीख के मामले।

41. यह निस्संदेह सच है कि कानून किसी वादी को मुकदमे में कार्रवाई के एक या अधिक कारणों को जोड़ने के लिए मजबूर नहीं करता है। यह वादी के लिए खुला है, यदि वह ऐसा चाहता है, हालांकि एक ही मुकदमे में एक ही पक्ष के खिलाफ कार्रवाई के एक से अधिक कारणों को जोड़ना। हालाँकि, यह निस्संदेह सच है कि आदेश II नियम 2 में प्रतिबंध केवल तभी उत्पन्न होगा जब दावा, जिसे छोड़ दिया गया है या

त्याग दिया जाता है और जिन राहतों को छोड़ दिया जाता है और जिनका दावा नहीं किया जाता है, वे उत्पन्न होते हैं कार्रवाई के एक कारण से। यदि कार्रवाई का एक से अधिक कारण है, तो आदेश II नियम 2 लागू नहीं होगा। यह निस्संदेह भी सच है कि आदेश II नियम 2 एक तकनीकी नियम को प्रकट करता है क्योंकि इसका प्रभाव न्यायालयों में अपनी शिकायत को उजागर करने वाले वादी के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने का होता है। लेकिन जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, एक समान रूप से महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि किसी भी व्यक्ति को कार्रवाई के एक ही कारण पर दो बार परेशान नहीं किया जाएगा।

42. कि कार्रवाई के एक ही

कारण पर, वादी ने छोड़ दिया है

ए.

विचाराधीन बिक्री विलेख के संबंध में

मुकदमा करने के लिए, हम सोचेंगे कि आदेश II नियम 2 के तहत प्रतिबंध लागू होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में हम रचनात्मक न्यायपालिका से संबंधित प्रश्न पर उच्चारण करना आवश्यक नहीं समझते हैं। इसके आलोक में, हम अपील की अनुमति देते हैं और उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर देते हैं। दल अपन-अपन लागत वहन करत।

बी.

निधि जैन